योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित प्रबन्धन(Suggestive Management Structure) -

- साक्षर भारत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वयन के लिए गाइड-लाइन तैयार की है। इस हेतु निम्नवत समितियों का गठन किया गया हैः-

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन शासनादेश संख्याः ११२५/७६-१४-०६-१-०५/२००० दिनांक ६ फरवरी, २०१० द्वारा किया गया है, विवरण निम्नवत् हैः-

साधारण सभा

१. मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
२. मा० पंचायती राज मंत्री, उत्तर प्रदेश	कार्यकारी अध्यक्ष
३. मा० बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश	उपाध्यक्ष
४. प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव
५. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, नियोजन, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, माध्यमिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य	सदस्य
६. निदेशक, माध्यमिक, बेसिक, एस.सी.ई.आर.टी., युवा कल्याण, एन.सी.सी.	सदस्य
७. स्टेट स्काउट कमिश्नर, गाइड कमिश्नर, नेशनल लिट्रेसी मिशन, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ओपेन एजूकेशन	सदस्य
८. मा० विधान सभा एवं विधान परिषद के एक-एक सदस्य	सदस्य
६. प्राधिकरण द्वारा ६ साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति सदस्य के रूप में नामित जो मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में लाभदायक हों	सदस्य

कार्यकारिणी समिति

१. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
२. प्रमुख सचिव/बेसिक शिक्षा	उपाध्यक्ष
३. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, नियोजन, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
४. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा	सदस्य
५. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का प्रतिनिधि	सदस्य
६. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	सदस्य-सचिव

जिला लोक शिक्षा समिति की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति का गठन शासनादेश संख्या-१०२२/७६-१४-१०-०१(५)/२०००टीसी दिनांक २७ अप्रैल, २०१० द्वारा निम्नवत् गठित किया गया हैः-

साधारण सभा

१. अध्यक्ष जिला पंचायत	अध्यक्ष
२. जिलाधिकारी	समन्वयक
३. मुख्य अधिशासी अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य-सचिव
४. अध्यक्ष द्वारा चयनित कुछ विकासखण्डों के ब्लाक प्रमुख एवं ग्राम प्रधान जिसमें कम से कम ५० प्रतिशत महिलाएं हों।	सदस्य
५. मुख्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी (जिला पंचायत राज अधिकारी सहित)	सदस्य
६. निदेशक, जन शिक्षण संस्थान	सदस्य
७. अध्यक्ष द्वारा नामित स्वैच्छिक संगठनों के अधिकतम ५ प्रतिनिधि	सदस्य
८. अध्यक्ष द्वारा नामित सामाजिक कार्यकर्ता/शिक्षा से संबंधित २ विशेषज्ञ	सदस्य

कार्यकारिणी समिति

१. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
२. मुख्य विकास अधिकारी	कार्यकारी अध्यक्ष
३. अध्यक्ष साधारण सभा द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
४. शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा प्राचार्य, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में से कोई एक)	सदस्य-सचिव
५. मुख्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी (जिला पंचायत राज अधिकारी एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी सहित)	सदस्य

विकासखण्ड स्तर पर **ब्लाक लोक शिक्षा समिति** एवं ग्राम पंचायत स्तर पर **ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति** का गठन शासनादेश संख्या-१०२३/७६-१४-१०-०१(५)/ २०००टीसी दिनांक २७ अप्रैल, २०१० द्वारा निम्नवत् गठित किया गया हैः-

विकासखण्ड स्तर

१. ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
२. खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य-सचिव
३. सभी महिला सदस्य जो विकासखण्ड स्तर पर ब्लाक समिति के सदस्य के रूप में चयनित की गई हों।	सदस्य
४. विकासखण्ड स्तरीय स्कूल एवं कालेज के अधिकतम ५ अध्यापक	सदस्य
५. स्वैच्छिक संगठनों के ०२ प्रतिनिधि	सदस्य
६. समुदाय के ०२ प्रतिष्ठित नागरिक	सदस्य
७. ब्लाक संसाधन केन्द्र का समन्वयक	सदस्य

ग्राम पंचायत स्तर

१. ग्राम प्रधान (सरपंच)	अध्यक्ष
२. वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय	सदस्य-सचिव
३. ग्राम पंचायत सदस्यों में से नामित किया जाय	सदस्य
४. लोक शिक्षा केन्द्र का वरिष्ठ प्रेरक	सह सचिव
५. ५० प्रतिशत महिलाएं जो ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में चयनित की गई हों एवं समुदाय से तीन व्यक्ति (अनुसूचित जाति जन जाति एवं अल्पसंख्यक सदस्यों का समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाय)	सदस्य
६. महिला मण्डल/स्वयं सहायता समूह से एक प्रतिनिधि, लाभार्थी समूह से दो सदस्य एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
७. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	सदस्य
८. स्थानीय स्तर पर डॉक्टर/शिक्षित ओपिनियन मेकर्स-एक	सदस्य

साक्षर भारत योजनान्तर्गत विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों के कार्य

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण

- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले नीति निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार राज्य में साक्षरता कार्यक्रम के नियोजन, कार्यान्वयन, प्रवर्तन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था करना।
- साक्षरता कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं, युवकों एवं छात्रों, विविध सेवायोजना द्वारा अन्य संगठनों को साक्षरता कार्यक्रम के लिए निर्देश देना।
- साक्षर भारत कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्‍देश्य से जन-सम्पर्क माध्यमों एवं प्रचार-प्रसार के कार्यक्रमों को निर्धारित करना।
- उपादानों का विकास विशेषतः असाक्षर एवं नव साक्षरों के प्रवेशिका, पठन-पाठन साहित्य, प्रशिक्षण साहित्य का विकास, मुद्रण, वितरण एवं आयोजन के लिए निर्देश देना।
- महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य निर्बल वर्ग के लोगों को साक्षरता कार्यक्रम से लाभान्वित कराने के लिए कार्यक्रम के सम्बन्धमें निर्देश देना।
- नवसाक्षरों के लिए उपर्युक्त साहित्य का विकास, प्रचार-प्रसार, विचार गोष्ठियों, कार्यकारी दलों का गठन एवं लोक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था करना।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित शासन के विभिन्न विभागों तथा एजेन्सियों के माध्य समन्वय सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के प्राप्त अनुदान की धनराशि का उपभोग, वित्तीय नियोजन निर्देशानुसार करना।

- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की नीति के अनुसार राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के लिए आवश्यकतानुसार कार्मिक प्रबन्ध करना।
- जिला लोक शिक्षा समिति, ब्लाक लोक शिक्षा समिति एवं ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति को कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों तथा कार्यक्रम के पक्ष में सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

जिला लोक शिक्षा समिति

- साक्षरता के लिए जिला स्तरीय अभियान का नियोजन।
- साक्षरता की निर्धारित कार्यनीति से सभी ग्राम प्रधानों को अवगत कराना।
- जन जागरण तथा वातावरण सृजन की गतिविधियों का संचालन।
- महिला साक्षरता से संबंधित अभिमुखीकरण हेतु ब्लाक स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकें कराना।
- प्रौढ़ लाभार्थियों, शिक्षा को मूल्यांकन कर्ताओं और पंचायतों के लिए दायित्वों का और उनकी भूमिकाओं का निर्धारण।
- जनपद में साक्षरता संबंधी गतिविधियों का कैलेण्डर तैयार करना।
- पंचायत स्तर पर पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- स्वयं सहायता समूहों और नरेगा समूहों के माध्यम से पूरक क्रियाकलाप का आयोजन करना।
- साक्षरता की उपलब्धि के मूल्यांकन का नियोजन एवं क्रियान्वयन।
- महिला साक्षरता से संबंधित प्रोत्साहन एवं पुरस्कारों का वितरण।
- साक्षरता कार्यक्रम के बारे में संगत सूचनाओं से जन साधारण को अवगत कराना।
- ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति हेतु सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।
- साक्षर भारत मिशन-२०१२ के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार, शासन एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- पूर्व में संचालित किए गये साक्षरता कार्यक्रम के संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन।

<u>ब्लाक लोक शिक्षा समिति</u>

- ब्लाक पंचायत (क्षेत्र पंचायत) स्तर पर साक्षर भारत कार्यक्रम का विकास करना
- साक्षरता कक्षाओं का पर्यवेक्षण
- ग्राम पंचायत तथा जिला लोक शिक्षा समिति के मध्य समन्वयन करना
- कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना
- कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना
- ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित लोक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करना
- विकासखण्ड स्तरीय कार्यकर्ताओं के मानदेय आदि की व्यवस्था करना
- वातावरण सृजन एवं अन्य गतिविधियों का क्रियान्वयन ब्लाक लोक शिक्षा समिति के सचिवालय के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित ब्लाक संसाधन केन्द्र कार्य करेंगें।
- जिला लोक शिक्षा समिति द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य

<u>ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति</u>

- योजना के लक्ष्य समूह में निरक्षरों की पहचान एवं सर्वेक्षण करना
- ग्राम पंचायत में बेसिक साक्षरता के अन्तर्गत लाभार्थी महिलाओं और स्वयं सेवकों की पहचान करना
- ग्राम पंचायत स्तर पर लोक शिक्षा केन्द्र हेतु प्रेरकों का चयन करना
- पठन-पाठन सामग्री की व्यवस्था, भण्डारण और स्वयं सेवकों को उपलब्ध कराना
- माइक्रोप्लानिंग और साक्षरता कक्षाओं का पर्यवेक्षण
- योजना के परीक्षणों और प्रतिभागी/कार्यक्रम के मूल्यांकन की व्यवस्था करना
- मानदेय का वितरण
- शत प्रतिशत महिला साक्षरता की उपलब्धि होने पर पंचायत महिला साक्षरता पुरस्कार का प्रस्ताव तैयार कर मांग करना
- सतत शिक्षा हेतु लोक शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना।